अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–03/2018

उमेश कुशवाहा एवं अन्य बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़

प्रस्तुत अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–1741, दिनांक–19.02.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस वाद की कार्रवाई मुख्यमंत्री जन शिकायत Grievance No–58234, दिनांक–24.08.2016 के द्वारा प्राप्त शिकायत मौजा–रामगढ़, थाना सं0–82 के खाता सं0–02, प्लॉट सं0–2214, रकबा–0.60 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर उमेश कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, पिता–प्रण महतो एवं मनोज महतो, पिता–स्व0 हीरामन महतो, सा0–रामगढ़ के द्वारा अवैध रूप से निर्माण को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी अनुरोध के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रारंभ किया गया है।

उक्त प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच करवाते हुए जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। साथ ही दखलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि के दखलकर्त्ता द्वारा भूमि से संबंधित आवश्यक कागजात यथा सादा हुकुमनामा, सरकारी रसीद, विविध वाद सं0–47/1971–72 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हजारीबाग के आदेश की छायाप्रति एवं न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ के वाद सं0–39/2016–17 जग्गू महतो बनाम शंभुनाथ महतो के बीच संचालित वाद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एवं दखलकर्त्ता श्री उमेश कुशवाहा, मनोज महतो वगैरह द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन के पश्चात अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0–2214, 2240 कुल रकबा–0.42 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। पंजी II के पृष्ट सं0–82/38 पर मोहित महतो वो बंधु महतो के नाम से कायम जमाबंदी को विविध वाद सं0–47/1971–72 से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को पूर्ववत् जारी रखने एवं लगान रसीद निर्गत करने का संबंधी पारित आदेश के आलोक में दिनांक 27.01.2012 को 1984–85 से 2011–12 तक एक लगान रसीद निर्गत किया गया है। जिसका रसीद सं0 6746739 है। प्रश्नगत् गैरमजरूआ खास खाते की भूमि सादा हुकुमनामा पर किस आधार पर तथा किसके आदेश से पूर्व में जमाबंदी कायम की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही दखलकर्त्ता/जमाबंदीदार के द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजी II के प्राधिकार कॉलम में तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ के ज्ञापांक–22/मु0, दिनांक–25.09.2011 के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अद्यतन रसीद निर्गत किया गया। जिसकी प्रति गार्ड फाइल में चिपकाया गया है, लिखा हुआ है, परन्तु उसमें भी किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् वाद सं0–39/2016–17 जग्गु महतो बनाम शम्भूनाथ महतो के बीच केस चला जिसमें प्रथम पक्ष जग्गु महतो वगै0 के पक्ष में फैसला दी गई है। वर्त्तमान में उक्त भूमि पर जमाबंदी रैयत के वंशजों का दखल–कब्जा है। परन्तु प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक–368/आ0गो0,दिनांक–02.04.2012 से प्राप्त निदेश के आलोक में गैरमजरूआ भूमि, सरकारी भूमि, वन भूमि आदि का अवैध निबंधन/नामान्तरण पर रोक लगाने संबंधी निदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि जो गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है का लगान रसीद निर्गत किया जाना स्थगित कर दिया गया है।

अतः राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं दखलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पंजी ॥ के पृ0सं0 82/38 पर मोहित महतो, बंधु महतो, पिता स्व0 भूखन कोईरी के नाम से कायम जमाबंदी मौजा–रामगढ़ के खाता सं0– 02, प्लॉट सं0– 2214, 2240 कुल रकबा–0.42 एकड़ किस्म भूमि गैरमजरूआ खास की जमाबंदी रदद करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजा गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुशंसा के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत् मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0– 2214, 2240 कुल रकबा–0.42 एकड़ भूमि जिसकी जमाबंदी मोहित महतो, बंधु महतो पिता–स्व0 भूखन कोईरी के नाम से जमाबंदी कायम है की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0– 2214, 2240 कुल रकबा– 0.42 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि ,जिसकी जमाबंदी मोहित महतो, बंधु महतो पिता–स्व0 भूखन कोईरी के नाम से कायम है, बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत् जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख कार्यालय के पत्रांक–406/रा0, दिनांक– 09.03.2018 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को उपलब्ध कराया गया है। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा पत्रांक– 643/रा0, दिनांक–24.04.2018 के माध्यम से अभिलेख उपायुक्त के न्यायालय में विधिवत् पक्षकारों की सुनवाई कर जमाबंदी रद्द करने का स्पष्ट आदेश पारित करते हुए, सरकार से सम्पुष्टि हेतु अभिलेख त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया। प्राप्त निदेश के आलोक में तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–20.01.2021 को पूर्व में संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, सुनवाई पश्चात् जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा सहित अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु तत्कालीन उपायुक्त, रामगढ़ को भेजी गई थी। अपरिहार्य कारण से विषयगत् वाद में अंतिम आदेश पारित नहीं

किया जा सका। फलस्वरूप संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–22.11.2021 को नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखित अभिकथन व भूमि संबंधी दस्तावेज यथा– सादा हुकुमनामा, सरकारी रसीद सं0– अपठनीय (वर्ष–13.02.1957), 745277 (वर्ष–22.02.1960), 815380 (वर्ष–02.03.1966), 916410 (वर्ष–1970–74), 846943 (वर्ष–1979–1983), 938417 (वर्ष–1983–1986), 67466739 (वर्ष–1984–2012), विविध वाद सं0–47/1971–72 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हजारीबाग के आदेश की छायाप्रति एवं न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ के वाद सं0–39/2016–17 जग्गू महतो बनाम शंभुनाथ महतो के बीच संचालित वाद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

मेरे द्वारा अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया एवं निदेशक भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3/खा0म0 नीति–119/85 2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का पत्रांक–2074, दिनांक–13.05.2016 के आलोक में अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन पश्चात् पाया गया कि :–

1. विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रश्नगत् भूमि प्राप्त होने से संबंधित कोई निबंधित अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करते हुए मात्र सादा हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न न्यायालयों यथा–माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में दायर वाद सं0–JCR 2008(4) 429 महावीर कांसी बनाम् झारखण्ड राज्य में पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि that a Jamabandi based on forged sada Hukumnama in collusion with the Government officials without obtaining the order of competent authority, is illegal and liable to be cancelled. यदि तत्कालीन जमींदार द्वारा विपक्षी के पक्ष में सादा हुकुमनामा निर्गत किया गया होता तो प्रश्नगत् भूमि की बंदोबस्ती पश्चात् प्रपत्र "K" में रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए था। परन्तु विपक्षी के द्वारा प्रपत्र 'K' में रिटर्न जमा किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा जिस सादा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत् भूमि पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत् भूमि के लिए विपक्षी का दावा अस्वीकार्य है।
2. रैयत द्वारा विहित प्रपत्र–M में प्रश्नगत् भूमि का लगान निर्धारण किया गया है से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–5,6 & 7 के तहत् बंदोबस्ती प्राप्त भूमि का प्रपत्र–M में लगान निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा यह प्रतिवेदित किया जाना कि "पंजी II के पृष्ट सं0–82/38 पर मोहित महतो वो बंधु महतो के नाम से कायम जमाबंदी को विविध वाद सं0–47/1971–72 से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पूर्व में चली आ रही जमाबंदी को पूर्ववत् जारी रखने एवं लगान रसीद निर्गत करने संबंधी पारित आदेश के आलोक में दिनांक–27.01.2012 को 1984–85 से 2011–12 तक एक लगान रसीद निर्गत

किया गया है।'' यह अपने–आप में संदेह उत्पन्न करता है कि जबकि वाद सं0–47/1971–72 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा दिनांक–31.01.1972 कि तिथि में आदेश पारित किया गया है। जिसके आलोक में तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ द्वारा दिनांक–25.02.1972 को लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंतिम आदेश पारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गई है। इतनी लंबी अवधि के बाद दिनांक–27.01.2012 को लगान रसीद निर्गत किया गया। जिससे भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा विहित प्रक्रिया (लगान निर्धारण) के तहत् जमाबंदी कायम नहीं करवाया गया है। लगान निर्धारण का साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।

3. अंचल अधिकारी, रामगढ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी खोलने वाले सक्षम पदाधिकारी का उल्लेख नहीं है। बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी कायम किया जाना बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–5,6 & 7 का उल्लंघन है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत् भूमि के लिए विपक्षी का दावा अस्वीकार्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0–2214, 2240 कुल रकबा– 0.42 एकड़, किस्म भूमि गैरमजरूआ खास जंगल से संबंधित दखलकार उमेश कुशवाहा एवं अन्य को विधिवत् नोटिस निर्गत करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी ठोस दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है, जिससे की प्रश्नगत भू–खण्ड पर विपक्षी का दावा प्रमाणित हो। जो कागजात समर्पित किये गए हैं वो विरोधाभाषी व अप्रमाणिक है। प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल–झाड़ी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विहित प्रावधानों के उल्लंघन कर बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से खोली गई है व पूर्णतः अवैध है।

अतः अंचल अधिकारी, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत् भूमि मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0– 2214, 2240 कुल रकबा–0.42 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि जिसकी जमाबंदी मोहित महतो, बंधु महतो पिता–स्व0 भूखन कोईरी के नाम से कायम है, बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत् जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपायुक्त, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा उक्त अभिलेख पर विधिवत् सुनवाई की गई है। जिससे सहमत होते हुए रामगढ़ अंचल अन्तर्गत मौजा–रामगढ़ के खाता सं0–02, प्लॉट सं0–2214, 2240 कुल रकबा–0.42 एकड़, किस्म भूमि गैरमजरूआ खास जंगल की जमाबंदी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द किया जाता है।

अभिलेख सम्पुष्टि हेतु आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

28.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

28.03.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.11.02 14:03:52 +05:30
Location: 192.168.0.10